भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2088
09.12.2024 को उत्तर के लिए

उत्तर-पूर्व राज्यों में कैम्पा

2088. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आवंटित और उपयोग की गई प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कैम्पा के माध्यम से रोपे गए पौधों की जीवित रहने की दर से संबंधित आंकड़े रखती है और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा कैम्पा के माध्यम से रोपे गए पौधों की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार के पास प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाओं के अनुपात के आंकड़े हैं जिनमें एकल कृषि शामिल है और यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को प्रतिपूरक वनरोपण परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) प्रतिपूरक वनीकरण (काम्पा) निधि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम, 2016) के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दी गई वन मंजूरी की शर्तों और नियमों के अनुसार वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है। राज्य काम्पा निधि संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध है और इसका उपयोग राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (राष्ट्रीय काम्पा) द्वारा वार्षिक संचालन योजना (एपीओ) में अनुमोदित वनरोपण और काम्पा संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय काम्पा द्वारा अनुमोदित एपीओ और पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय 'काम्पा' का मुख्य उद्देश्य वनीकरण और सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन के माध्यम से वन अपवर्तन प्रस्ताव में अनुमोदित अवक्रमित वन भूमि या/और वनेतर भूमि को पारिस्थितिक रूप से बहाल करना है, ताकि इसे समय के साथ क्षेत्र के निरूपक वन प्रकार में विकसित किया जा सके। वनों के अवक्रमित होने की स्थितियों को देखते हुए, रोपे गए पौधों की अधिकतम संभव उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिसकी संबंधित राज्य वन विभाग और राज्य सरकार द्वारा आंतरिक निगरानी के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जाती है। सूख गए पौधों के स्थान पर बाद में वृक्षारोपण के अनुरक्षण के दौरान नए पौधे लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर तीसरे पक्ष द्वारा भी निगरानी की जाती है। वृक्षारोपण वाले क्षेत्रों के पूरी तरह से स्थापित होने तक संरक्षण और सुधार के उपाय किए जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण ई-ग्रीनवॉच पोर्टल के माध्यम से वनीकरण प्रयासों की निगरानी भी करता है। जैसाकि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तरजीविता की प्रतिशतता **अनुलग्नक II** के रूप में संलग्न है।

(घ) प्रतिपूरक वनरोपण स्वीकृत योजना के अनुसार किया जाता है, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित वन अपवर्तन प्रस्ताव का एक अभिन्न हिस्सा है। मुख्य रूप से स्थल-विशिष्ट वनरोपण गतिविधियों के माध्यम से वनेतर या अवक्रमित वन भूमि को पारिस्थितिक रूप से बहाल करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है, जिसमें दावानल से सुरक्षा, जैव विविधता का संवर्धन और मिट्टी और जल संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय शामिल हैं। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के लिए प्रतिपूरक वनरोपण योजना तैयार करना आवश्यक होता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि विविध प्रजातियों का चयन हो और उनमें स्वदेशी प्रजातियाँ भी शामिल हों।

(ङ) प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि की पहचान करने की जिम्मेदारी उपयोगकर्ता एजेंसी की है, जो राज्य सरकार के परामर्श से उपयुक्त भूमि का चयन करती है। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि उसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिपूरक वनरोपण करना संभव नहीं है, जहां वन भूमि का अपवर्तन प्रस्तावित है, तो मामले दर मामले के आधार पर अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण पर विचार किया जा सकता है।

*****

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्वीकृत/आबंटित और उपयोग की गई निधि की स्थिति

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		स्वीकृत/आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत/आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत/आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत/आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि	स्वीकृत/आबंटित निधि	उपयोग की गई निधि
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	166.20*	155.46	198.91	240.35	242.29	195.29	189.27	190.69	183.23
2	असम	55.89	32.02	88.34	72.52	95.01	67.05	162.57	109.89	109.69	74.30
3	मणिपुर	30.36	30.98	27.79	27.79	25.09	25.09	22.59	22.59	20.26	20.26
4	मेघालय	शून्य	शून्य	33.97	22.07	36.40	34.59	26.67	9.06	30.91	10.26
5	मिजोरम	शून्य	शून्य	32.66	26.00	18.08	17.19	16.74	11.61	14.60	5.24
6	नागालैंड**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	सिक्किम	44.96	39.93	66.90	55.71	73.15	69.57	69.82	70.20	79.95	63.03
8	त्रिपुरा	20.84	18.65	21.51	17.56	35.24	23.32	52.90	34.80	85.77	32.51
	कुल	**152.05**	**287.78**	**426.63**	**420.56**	**523.32**	**479.1**	**546.58**	**447.42**	**531.87**	**388.83**

*राष्ट्रीय प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान तदर्थ काम्पा से 354.15 करोड़ रुपए अंतरित किए।

** नगालैंड राज्य में कोई राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण गठित नहीं है।

अनुलग्नक-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में वृक्षारोपण की उत्तरजीविता का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अरुणाचल प्रदेश	50-60%	50-60%	50-75%	40-70%	40-60%
2	असम	76.91%	70%	75%	78.33%	83.75%
3	मणिपुर	76.40%	68.70%	82.60%	73.06	72.42%
4	मेघालय	लागू नहीं	75%	67%	67%	67%
5	मिजोरम	77-90%	70-93%	70-95%	83%	83%
6	सिक्किम	70%	75%	70%	72%	69%
7	त्रिपुरा	72%	78%	85%	75%	85%

***